Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010
(BHADRA 10, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st September, 2010

No. 14—HLA of 2010/45.—The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 14—HLA of 2010

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2010. Short title

2. In section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 3 of Haryana Act 10 of 1994

(i) in sub-section (2), after the word "municipality", the words "or municipalities" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 31st May, 1994; and

(ii) in the proviso to sub-section (2), after the word "municipality", the words "or municipalities" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 31st May, 1994.

Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994.

3. In the proviso to sub-section (4) of section 4 of the prinicpal Act, for the words "two years", the words "two years and six months" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008.

Amendment of section 97 of Haryana Act 16 of 1994.

4. In sub-section (5) of section 97 of the principal Act,—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the election to constitute the Corporation has not been completed, the Commissioner may constitute such number of Committees, as he may deem fit.".

Repeal and saving.

5. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 9 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government constituted Municipal Corporations of Panchkula (after merging the Municipal Committee, Pinjore, Kalka and some rural area adjoining Panchkula), Ambala (after merging Ambala City & Ambala Cantt. and some rural area adjoining Ambala), Yamuna Nagar-Jagadhri (after merging Jagadhri & Yamuna Nagar alongwith adjoining rural areas), Karnal, Panipat, Rohtak and Hisar for speedy development of the area in the public interest *vide* Government Notification, dated the 17th March, 2010.

In order to make explicit provisions for constituting a Municipal Corporation after merging one or more municipalities, Section 3(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 needs to be amended.

The work regarding delimitation of wards of the Municipal Corporation, Gurgaon could not be completed due to the imposition of Model Code of Conduct during the Vidhan Sabha Elections and subsequently during Municipal and Panchayat Elections, 2010. Because of this, elections to Municipal Corporation, Gurgaon could not be held within two years as provided in the Act. Therefore, it is necessary to make provision to hold the election of Municipal Corporation, within a period of two years and six months of its being notified as a Corporation by substituting the proviso of sub-section (4) of Section 4 of the Haryana Municipal Coprporation Act, 1994.

Further, in order to overcome the problems faced by the Municipal Corporations where elections to constitute the Corporation has not been completed on account of various reasons, the Commissioner is proposed to be authorized to constitute committees for hearing objections to the assessment of tax, by adding a proviso in sub-section (5) of Section 97 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 1st September, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 14-एच० एल० ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवे वर्ष मे हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमे, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) मे, "नगरपालिका" शब्द के बाद, "या नगरपालिकाओं" शब्द रखे जाएंगे तथा 31 मई, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के परन्तुक में, "नगरपालिका" शब्द के बाद, "या नगरपालिकाओं" शब्द रखे जाएंगे तथा 31 मई, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के परन्तुक मे, "दो वर्ष" शब्दो के स्थान पर, "दो वर्ष तथा छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 97 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 97 की उप-धारा (5) में,

(i) अन्त मे विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा अर्थात :–

"परन्तु जहां निगम को गठित करने हेतु निर्वाचन पूर्ण नहीं हो गया है वहां आयुक्त समितियों की ऐसी संख्या जो वह उपयुक्त समझे, गठित कर सकता है ।"।

5. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए अपनी अधिसूचना दिनांक 17.3.2010 द्वारा नगर निगम, पंचकूला (नगरपालिका पिंजौर, कालका व पंचकूला के साथ लगते कुछ ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर), अम्बाला (नगरपरिषद् अम्बाला शहर व अम्बाला सदर व अम्बाला के साथ लगते कुछ ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर), यमुनानगर-जगाधरी (जगाधरी व यमुनानगर तथा साथ लगते कुछ ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर), करनाल, पानीपत, रोहतक तथा हिसार का गठन किया गया है।

एक अथवा अधिक पालिकाओं को मिलाने उपरांत एक नगर निगम गठित करने के लिए यथा अपेक्षित प्रावधान करने हेतु हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

विधानसभा चुनावों तथा साथ ही पालिकाओं व पंचायतों के चुनाव, 2010 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नगर निगम, गुड़गावां की वार्डबंदी का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इस कारण नगर निगम, गुड़गावां के चुनाव अधिनियम में निहित व्यवस्था अनुसार दो वर्ष की अवधि में नहीं कराये जा सके इसलिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करते हुए नगर निगम के चुनाव दो वर्ष तथा छह मास की अवधि में कराने हेतु संशोधन किया जाना आवश्यक है।

आगे, विभिन्न कारणों से नगर निगम गठित करने के लिए जहां चुनाव नहीं हो सके हैं, ऐसी समस्याओं के निदान के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 97 की उपधारा (5) में परन्तुक जोड़ते हुए, कर निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां सुनने के लिए समिति गठित करने हेतु आयुक्त को प्राधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
1 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

47626--H.V.S.--H.G.P., Chd.